

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

विवेक जे.के.

54

1. जाकिर पटेल पिता इशाक मोहम्मद  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि  
निवासी - 684, खेडी मोहल्ला,  
ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर

विदिद्य - 4726/2018/इंदौर/20212

जा.सं. 3541  
रा आ.सं. दि. 2-8-18  
स्तुत! प्राथमिक बर्क हेतु  
दि. 7-8-18 नियत।

विवेक जे.के. 8-18  
रा.सं. मण्डल, ग्वालियर

- नासिर पटेल पिता इशाक मोहम्मद  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि  
निवासी - ग्राम जेतपुरा,  
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

- मोहम्मद हुसैन पिता इशाक मोहम्मद  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि  
निवासी - ग्राम जेतपुरा  
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

... प्रार्थीगण

विवेक जे.के. 3  
दी. दी. (पु.सं.)  
2-8-18

विरुद्ध

1. श्रीमती बिसमिल्ला बी पति इशाक मोहम्मद  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - गृहकार्य  
निवासी - पटेल मोहल्ला, खजराना, इन्दौर
2. मोहम्मद अफसर पटेल पिता इशाक मोहम्मद  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कुछ नहीं  
निवासी - पटेल मोहल्ला, खजराना, इन्दौर
3. रेहाना बी पति इशाक मोहम्मद  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कुछ नहीं  
निवासी - ग्राम हुसैन मुण्डला  
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

... प्रतिप्रार्थीगण

72 पर  
[Signature]

अन्तरण याचिका अन्तर्गत धारा 29 म.प्र भू-राजस्व संहिता

~~संशोधन विधेयक 2018~~

प्रार्थीगण तर्फे निवेदन है कि :-

1. यह कि, प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नामांतरण हेतु एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 109-110 म.प्र. भू-राजस्व संहिता प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में लंबित होकर आगामी पेशी दिनांक 02.08.2018 नियत है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपी आवेदन के साथ संलग्न है।






न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक विविध 4726/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-8-18	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ तहसीलदार इंदौर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 12/अ-6(1)/17-18 में कार्यवाही प्रचलित होकर दिनांक 2-8-18 नियत है, को अन्य राजस्व अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिये अन्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा तर्कों में तहसीलन्यायालय में प्रचलित प्रकरण को अन्य राजस्व अधिकारी को सुनवाई हेतु अन्तरण किये जाने संबंधी कोई ठोस आधार व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रकरण अन्य राजस्व अधिकारी को सुनवाई के लिये अंतरित किया जाये। अतः यह विविध प्रकरण आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>